

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन दि

| दिनांक | फर्द अहकाम |
|--------|------------|
|--------|------------|

29/10/25

पत्रावली पेश हुई। पीठसभ्य अधिकारी
सुनवाई में व्यक्त। पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 26/3/26 को पेश है।

अमान
नहीं चोखे
पुस्तक
कोर्ट के लिए नहीं
(अनकोर)

30/10/25 आज यह पत्रानवी सापलानकी
कोर्ट से प्रहृष्ट प्रार्थना पत्र पर लम्बकी
गई। सापलान के प्रार्थना पत्र में उंक्ति
किता है कि पत्रकारानु के मध्य राजीनाम
हो जाने एवं सापलान द्वारा प्रार्थना पत्र
को फांगे नहीं चलाये जाने के कारण
खारिज कर दायित्व प्रकट किए जाने
का विवेक किता है।

उक्त पत्र: प्रार्थना / सापलान का प्रार्थना
पत्र स्वीकार किता जाकर मुं० नं० 8/2024
उपवानी सौम्या वनाम तुलसीराम प्रा०
पत्र कल्याई विवेधाज्ञा को Not Press
में खारिज किता जा रहा है। उक्त उक्त
पत्र को दि० 30/10/2024 को जारी

डॉ. निरमल लवगाण कोदेश विद्वांसि में
जाने दी। पत्रावली के सन लुमल होत्र
बाद तकमील नम्वल से कम की जाकर
मूल दावा के साथ श्रापिल सि सल रहे।

कोदेश खुले मामालप में
पुनापा गपा/ल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)